न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 10/2018 अपील

उनवान

श्री फूलसिंह पिता मोतीसिंह राजपूत निवासी दर्री तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज0)	**बनाम**	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ, जिला–भीलवाडा (राज0)
–– अपीलार्थी		**––प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार हमीरगढ, बमामले प्र0सं0 99/2017 अन्तर्गत धारा 91 एल0आर0एक्ट आदेश दिनांक 18.12.2017

उपस्थित :– श्री ललित सोनी अधि0 अपीलार्थी अनुपस्थित
श्री विपुल बापना राजकीय अधि0 उपस्थित

निर्णय

दिनांक : 31/07/2018

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार हमीरगढ, बमामले प्र0सं0 99/2017 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम आदेश दिनांक 18.12.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्य के विपरीत निर्णय पारित किया जो निरस्त योग्य है। वाके ग्राम दर्री में स्थित आ0नं0 353 रकबा 05.03 बीघा, जो राजस्व रेकार्ड में किस्म चरागाह के रूप में दर्ज है पर अपीलार्थी का अतिक्रमण बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए 01 माहे के सिविल कारावास व उक्त भूमि के कुल वार्षिक लगान का 50 गुणा आर्थिक जुर्मान की शास्ति अधिरोपित करते हुए मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया । अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है तथा पहले कब्जा था जो हमारी खातेदारी भूमि से सटी होने से सीमाज्ञान नहीं होने से कब्जा हो गया था जानकारी होने के बाद अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजीयात से कब्जा छोड दिया है तथा मौके पर कोई कब्जा नहीं है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का पूर्ण अवसर भी नहीं दिया । अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थी व हाल ही में पुलिस द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में गिरफ्तारी करने आयी जिस पर नकल हेतु आवेदनपत्र दिनांक 21.03.2018 को पेश किया व नकल दिनांक 21.03.2018 को प्राप्त हुई तब यह अपील अविलम्ब पेश की जा रही है। लेकिन आदेश की दिनांक से

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अपील पेश करने में हुई देरी के समय को कण्डोन फरमाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है इस हेतु धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 28.03.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये तथा अपीलाधीन आदेश सम्बधी रिकार्ड तलब किया गया। अपील मेमों के साथ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हमीरगढ के प्रकरण संख्य 99/2017 निर्णय दिनांक 18.12.2017 की फोटो प्रमाणित प्रति संलग्न की है। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किए हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हमीरगढ से रिकार्ड उपलब्ध होने पर पत्रावली दिनांक 11.07.2018 को वास्ते बहस नियत थी। उक्त दिनांक को वकील अपीलार्थी एवं स्वयं अपीलार्थी अनुपस्थित थे। प्रत्यर्थी राजकीय अभिभाषक उपस्थित जिसकी बहस सुनी गई बहस में राजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया कि अपीलार्थी के द्वारा चरागाह आ0नं0 353 में 0.15 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया है बेदखली का आदेश दिए जाने पर मौके से कब्जा नहीं हटाया है जबकि अपीलार्थी अपनी अपील में यह कथन लाया है कि उसने मौके से कब्जा हटा लिया है जबकि राजकीय अभिभाषक का कथन है कि इस सम्बन्ध में अपीलार्थी से शपथपत्र लिया जावे । राजकीय अभिभाषक के द्वारा अपील के तथ्यों का खण्डन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील मेमो में विवाद का विषय यह रहा कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हमीरगढ के द्वारा ग्राम दर्री की आ0नं0 353 किस्म चरागाह की भूमि मानते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध नाजायज कब्जे की गलत कार्यवाही की गई। अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थी व हाल ही में पुलिस द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में गिरफ्तारी करने आयी जिस पर नकल हेतु आवेदनपत्र दिनांक 21.03.2018 को पेश किया व नकल दिनांक 21.03.2018 को प्राप्त हुई तब यह अपील अविलम्ब पेश की गई। प्रत्यर्थी राजकीय अभिभाषक के द्वारा अपीलार्थी के दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र व शपथपत्र के खण्डन में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थनापत्र व उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र पर अविश्वास करने का कारण न्यायालय के समक्ष नही हैं। सामान्य न्याय सिद्धान्तो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दफा 5 कानून मियाद प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

अब इस अपील के गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है। अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2017 की प्रति के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। जबकि अपीलार्थी का कथन है कि उसकी खातेदारी आराजी से अतिक्रमित रकबे वाली भूमि लगी हुई है तथा सीमाज्ञान नहीं होने से कब्जा किया जिसे हटा लिया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुने सिविल कारावास की सजा सुनाई है तथा लगान का 50 गुणा आर्थिक जुर्माना करते हुए बेदखल किया है। परन्तु अपीलार्थी के द्वारा अपनी अपील की ताईद में कोई

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

दस्तावेजी साक्ष्य या स्वतंत्र गवाह के शपथ–पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए जिससे यह सिद्ध होता हो कि अपीलार्थी के द्वारा ग्राम दर्री की आ0नं0 353 किस्म चरागाह से अतिक्रमण हटा लिया हो। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हमीरगढ से मौके की रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2018/99/2017 दिनांक 30.07.2018 प्रस्तुत की जिसके साथ पटवारी हल्का स्वरूपगंज की रिपोर्ट संलग्न है। पटवारी रिपोर्ट में लिखा है कि ग्राम दर्री की आ0नं0 353 रकबा 5–03 बीघा किस्म चरागाह में से 0.15 बीघा भूमि पर अतिक्रमी श्री फूलसिंह पिता मोतीसिंह राजपूत नि0 दर्री के द्वारा कब्जा नहीं हटाया है। जबकि चरागाह भूमि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 की प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अपीलार्थी स्वयं इस तथ्य को अपनी अपील में स्वीकार कर रहा है कि उसका कब्जा सीमाज्ञान नहीं होने तथा स्वयं की खातेदारी भूमि से लगी होने से किया गया था जिसे हटा लिया परन्तु तहसीलदार हमीरगढ की रिपोर्ट दिनांक 30.07. 2018 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा अपना नाजायज कब्जा नहीं हटाया है इस प्रकार अपीलार्थी का पश्चातवर्ती नाजायज कब्जा सिद्ध होता है। इस प्रकार अपीलान्ट अपनी अपील को सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हमीरगढ के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध नाजायज कब्जे की जो कार्यवाही की गई है वह उचित है इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील खारिज योग्य प्रतीत होती है। अतएव–

आदेश

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार हमीरगढ के प्रकरण संख्या 99/2017 अन्तर्गत धारा 91 एल0आर0एक्ट में पारित आदेश दिनांक18.12.2017 को यथावत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णय अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हमीरगढ को मय उनकी पत्रावली संख्या 99/17 के साथ भिजवावें।

आदेश आज दिनांक 31/07/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
भीलवाडा